न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 45/2021

श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह सिसोदिया निवासी मुकाम पोस्ट नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16—2—2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 09—10—2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से सम्बन्धित होने से आवेदक का प्रार्थना पत्र, पत्र कमांक 882 दिनांक 22—10—2021 से अन्तरित कर दिया गया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1508 दिनांक 22—12—2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा जवाब प्रेषित किया गया हे कि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में पत्र कमांक 271 दिनांक 18—11—2021 से सूचित किया जा चुका है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। आवेदक द्वारा क्या सूचना चाही गई थी स्पष्ट अंकित नही है न्यायालय हाजा में अपील के साथ आवेदन की प्रति पेश की है वह भी अपठनीय है अपीलान्ट प्रर्थना पत्र की स्पष्ट प्रति प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवाया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उप पंजीयक निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक